झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

–: अति–अल्पकालीन निविदा सूचना :–

गिरिडीह जिले में राज्य स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों यथा–निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय, वृद्ध, वृद्धा एवं भिक्षुकों के बीच मुफ्त कम्बल वितरण हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत जिलों में कम्बलो की आपूत्ति हेतू कम्बल/वस्त्र के अधिकृत विक्रेता/थोक विक्रेता के रूप में **निबंधित, प्रतिष्ठित निर्माता, थोक आपूर्तिकर्त्ता** से मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। क्रय किये जाने वाले कम्बल की अनुमानित संख्या लगभग 60,978 (साठ हजार, नौ सौ अठहतर) अद्द है, यह संख्या घट–बढ़ सकती है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	वजन
1	2	3	4
1	कम्बल (ऊनी)	90"x 60"	2.00 कि0ग्रा0 (न्यूनतम)

निविदा दिनांक–08.12.2018 को 2:00 बजे अपराह्न तक सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, अरगाघाट रोड, गिरिडीह में प्राप्त की जायगी तथा दिनांक –08.12.2018 को 3:00 बजे अपराहन उपायुक्त, गिरिडीह के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा का तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में देना अनिवार्य होगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। तकनीकी बीड सही पाये जाने के उपरांत ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा। निविदा की शर्ते जिला देबसाईट www.giridih.nic.in तथा prdjharkhand.in पर देखी जा सकती है।

निविदा की शर्ते :–

(क) तकनीकी बीड :–

1. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 1,80,000/–(एक लाख, अस्सी हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट **उपायुक्त, गिरिडीह** के पदनाम से भुगतेय करना आवश्यक होगा।
2. निविदा के साथ वाणिज्य कर निबंधन, पैन संख्या की छाया प्रति, कम्बल/वस्त्र के थोक विक्रेता के लिए प्राधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिर्टन, स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी. (GST)के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
4. निविदादाता को पिछले तीन वर्ष औसतन टर्न ऑवर पचास लाख या अधिक का होना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के पश्चात् प्रस्तुत विपत्र के जॉचोपरांत नियमानुसार कर/करो के कटौती के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा।
6. कम्बल का नमूना समर्पित करना होगा जिसका न्यूनतम आकार 90" x 60" एवं वजन 2.00 कि0ग्रा0 होना आवश्यक है।
7. आपूर्तिकर्त्ता सभी कम्बलो में झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का लोगो (Logo) लगवाना सुनिश्चित करेगें।

(ख) वित्तीय बीड :-

1. वित्तीय निविदा अलग -अलग लिफाफे में रहेगा जिसमे सामग्री की गुणवता, विशिष्टता एवं दर का रहना अनिवार्य है।

(ग) अन्य शर्ते :-

1. आपूर्ति किये गये कम्बल निविदा में प्रस्तुत किया गया नमूना के अनुरूप होना चाहिए, अगर किसी तरह की भिन्नता पाई गई, तो आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी एवं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान का दावा मान्य नही होगा, साथ ही साथ उनके द्वारा आपूर्ति किये गये कम्बलों एवं अग्रधन की राषि को जब्त कर लिया जायेगा।
2. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. निविदा में परिवाहन एवं हाथालन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता जिला क्रय समिति द्वारा चयनित नमुना के गुणवत्ता के अनुरूप होनी चाहिए।
5. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत की तिथि से 07 दिनों के अन्दर कम्बल की आपूर्ति जिला मुख्यालय, संबंधित अनुमण्डल एवं जिले के सभी प्रखण्ड/अंचल कार्यालय पहुंचाकर आपूर्ति करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हाथालन व्यय देय नहीं होगा।
6. आपूर्ति के उपरान्त संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से हस्तप्राप्ति लेकर सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, गिरिडीह को समर्पित करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नही होगी।
7. सभी अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
8. नकली एवं खराब कम्बलों की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी ऐसा करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।
9. जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यदेश देने का अधिकार जिला क्रय समिति का होगा।
10. निर्धारित समय बीत जाने के बाद निविदा/सशर्त्त निविदा स्वीकार नही किया जायेगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

30/11

उपायुक्त,
गिरिडीह।